# नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 4/2012 से 3/2014

## भाग–एक

1 **(i) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन करने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दष्टिगत नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

**नगर परिषद में अंकेक्षणाधीन अवधि 4/12 से 3/14 में निम्नलिखित प्रधान/कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त रहेः–**

**प्रधानः–**

| क्र0सं0 | प्रधान का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री ऋषभ कालिया | 01.04.12 से 31.03.2014 |
| 2 | | |

**कार्यकारी अधिकारीः–**

| क्र0सं0 | कार्यकारी अधिकारी का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री विनोद कुमार | 01.04.12 से 14.9.12 |
| 2 | श्री सजय कुमार | 15.9.12 से 21.8.13 |
| 3 | श्री मोहिन्द्र सिंह | 29.8.13 से 24.11.13 |
| 4 | श्री राज कृष्ण शर्मा | 25.11.13 से 31.3.14 |

**(ii) नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2012 से 31.3. 2014 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

| क्र0सं0 | गम्भीर अनियमितता का सार | पैरा सं0 | राशि ₹ लाख |
|---|---|---|---|
| 1 | दिनांक 31.3.2014 के अनुदानों की अनुपयुक्त राशि शेष | 6 (क) | 538.70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | अनुदान राशियों का वेतन व भत्तों पर अनियमित व्यय | 6 (ख) | 183.91 |
| 3 | दिनांक 31.3.14 को गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष | 7 | 14.39 |
| 4 | दुकानों के किराये की दिनांक 31.3.14 को वसूली योग्य राशि शेष | 8 | 20.27 |
| 5 | मोबाईल टावरों की दिनांक 31.3.14 को वसूली शेष | 9 | 3.32 |
| 6 | दिनांक 31.3.14 को महिला छात्रावास, बूथ इत्यादि का किराया वसूली हेतु शेष | 10 | 19.71 |
| 7 | दिनांक 31.3.14 को अग्रिम राशि का समायोजन शेष | 11 | 28.41 |
| 8 | बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये अनियमित व्यय | 14 | 12.95 |
| 9 | यात्री वाहन को नियमों की अनदेखी कर माल वाहक वाहन बनाकर अपव्यय | 15 | 2.02 |
| 10 | दशहरा मेले की कुल प्राप्ति का 327**%** शेयर मेला समिति से वसूली न करना | 16 | 60.53 |
| 11 | दिनांक 31.3.2014 को परिषद का दायित्व शेष | 20 | 1055.48 |

### (iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट **"I-क"** में दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

## भाग—दो

### 2 वर्तमान अंकेक्षणः—

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2014 के लेखाओं का अंकेक्षण, श्री चन्द्रेश हाण्डा सहायक नियन्त्रक लखा परीक्षा व श्री ध्रुव राज कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा 1.12.2014 से 27.1.2015 के दौरान कुल्लू में किया। लेखा परीक्षण में आय के माह 4/12 व 4/2013 तथा व्यय के लिए माह 7/12 व माह 11/13 के लेखओं का विस्तृत जाँच हेतु चयन किया गया।

"नगर परिषद कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी प्रकार की अधूरी अथवा उपलब्ध न करवाई गई सूचना के लिये लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।"

## 3 अंकेक्षण शुल्कः—

नगर परिषद कुल्ल, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2012 से 3/2014 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹69000/—किया गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू का सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या (ए0सी0) आडिट फिन(एल0ए0)/613 दिनांक 27.1.15 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को भिजवाने का अनुरोध किया गया।

## 4 वित्तीय स्थितिः—

**(i)** नगर परिषद कुल्लू के अवधि 4/2012 से 3/2014 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति परिषद द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निम्न प्रकार है जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

**(क) मुख्य रोकड़ वहीः—**

| वर्ष | गतशेष | प्राप्ति | कुल जमा | भुगतान | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012—13 | 13013167 | 67191287 | 80204454 | 48077444 | 32127010 |
| 2013—14 | 32127010 | 53228575 | 85355585 | 49876853 | 35478732 |

**दिनांक 31.3.2014 को बैंक वार विवरणः—**

| क्र0सं0 | कुल्लू स्थित बैक का नाम | खाता संख्या | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | पी0एन0बी0 | 19219 | 48590 |
| 2 | पी0एन0बी0 | 12804 | 3371 |
| 3 | पी0एन0बी0 | 24255 | 5491 |
| 4 | पी0एन0बी0 | 56520 | 41013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | के0सी0सी0 | 168824 | 29676365 |
| 6 | के0सी0सी0 | 13425 | 59236 |
| 7 | ओ0बी0सी0 | 613 | 11142 |
| 8 | जे एंड के | 3081 | 761935 |
| 9 | यू0वी0आई0 | 938 | 57731 |
| 10 | केनरा बैंक | 4481 | 47232 |
| 11 | युको बैंक | 4959 | 336795 |
| 12 | आई0डी0वी0आई0 | 6019 | 4921294 |
| 13 | के0सी0सी0 | 1621 | 11017 |
| | | **योग** | **35981212** |

**बैंक समाधान विवरणीः–**

| | |
|---|---|
| रोकड़ वही के अनुसार 31.3.2014 तक अन्त शेष | 35478732 |
| विभिन्न बैकों में 31.3.2014 तक अन्त शेष | 35981212 |
| अन्तर राशि | 502480 |

**अन्तर की राशि का समाधानः–**

**(1)** परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2014 तक जारी चैक रोकड़ वही से घटाये गये, परन्तु पास बुक में 31.3.2014 के बाद घटाये गये है।

| क्र0 सं0 | बैंक का नाम | चैक संख्या | दिनांक | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | यूको बैंक | 685002 | 11.3.14 | 2300 |
| 2 | आई0डी0वी0आई0 | 002515 | 11.3.14 | 450000 |
| 3 | जे एंड के | 001476 | 22.3.14 | 2200 |
| 4 | जे एंड के | 001478 | 22.3.14 | 14000 |
| 5 | पी0एन0बी0 | 395338 | 22.3.14 | 1825 |
| 6 | पी0एन0बी0 | 395341 | 22.3.14 | 37500 |
| 7 | यूको बैंक | 687702 | 22.3.14 | 8970 |
| 8 | पी0एन0बी0 | 386029 | 22.3.14 | 300 |
| | | | **योग** | **₹517095** |

**(2)** परिषद द्वारा प्राप्त आय के चैकों ₹14614/–को दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही में जमा दर्शाया गया परन्तु यह राशि दिनांक 31.3.2014 के बाद पास बुकों में जमा हुई।

अन्तर का समाधानः– ₹517095–₹14615=₹502480

**(3)** मुख्य रोकड़ बही के अतिरिक्त निम्न रोकड़ बहियों में 31.3.14 को निम्न राशियों अन्तशेष थी

**(i) ठोस कचरा प्रबन्धन**

| | |
|---|---|
| 31.3.14 को रोकड़ शेष | ₹416772 |
| खाता संख्या 7801 में राशि ₹413652 | |
| खाता संख्या 6022 में राशि ₹3120 | |
| 31.3.14 को बैंकों में कुल राशि | ₹416772 |

**(ii) IDSMT**

| | |
|---|---|
| 31.3.14 को रोकड़ शेष | ₹410488 |
| खाता संख्या 6169 में शेष | ₹410488 |

दिनांक 31.3.12 को अन्त भी ₹410488 था जमा राशि पर ब्याज की आय प्राप्ति करने हेतु मामला सम्बन्धित बैंक के साथ उठाया जाए

**(iii) NORAD**

| | |
|---|---|
| 31.3.14 को रोकड़ शेष | ₹5447 |
| 31.3.14 को बैंक खाता 6022 मे ंशेष | ₹5447 |

## 5 निवेशः–

नगर परिषद द्वारा अवधि 31.3.2014 को सावधि जमा योजना क अन्तगत कोई भी राशि निवेश नहीं को गई थी यदि वर्ष के अन्तिम शेर्षों की औसतन राशि जरूरत अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि परिषद निधि में एकत्रित अधिकतम राशि को उचित मात्रा में बांटकर सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सावधि जमा निवेश को समय पूर्ण भुनाया जा सके तथा अन्य निवेशों पर नियमित रूप में अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्ति हो सके।

## 6 अनुदानः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अनुदानों की पाप्ति व व्यय का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है। लेखा परीक्षा पर निम्नलिखित अनियमितताऐ ंपाई गईः–

**(क) ₹53870026/– अनुदानों की अनुपयुक्त राशिः–**

अनुदानों की विवरणी के अवलोकन में पाया गया है कि अंकेक्षण अवधि स पहले प्राप्त पुराने अनुदानों में 31.3.12 से पहले प्राप्त अनुदानों से ₹19836221 वर्ष 2012–13 में प्राप्त अनुदानों से ₹18103232 व वर्ष 2013–14 में प्राप्त अनुदानो ंसे ₹15930573 कुल ₹53870026 का या तो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है या बिल्कुल भी उपयोग नही किया गया। इन राशियो ंका व्यय निर्धारित विकास कार्यो पर किया जाना अपेक्षित था विवरणों से स्पष्ट है कि अधिकांश अनुदानों की शेष बची राशियाँ न तो सरकार को वापिस की गई थी और न ही इनका उपयोग उन उद्देश्य हेतु किया गया जिन उद्देश्य के लिए इन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था अनुपयुक्त अनुदान राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उसी उद्देश्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जाए जिस प्रयोजन हेतु इन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि को प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

| | |
|---|---|
| दिनांक 31.3.14 को अनुदानों का अन्तशेष | 53870026 |
| अनुदानों का अन्य उद्देश्यों पर व्यय पैरा (ख) में दर्शित | (–) 18391294 |
| परिषद के पास 31.3.14 को उपलब्ध राशि | 35478732 |

**(ख) ₹183.91/–लाख अनुदान राशि का वेतन व भत्तों पर अनियमित व्ययः–**

कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनाँक 31.03.2014 को अनुदान की राशि ₹538,70026/–अनुपयुक्त थी जबकि परिषद की वित्तीय स्थिति दिनाँक 31. 03.2014 को अन्तिम शेष 354,78,732/–थे परिषद द्वारा ₹538,70026 (–)354,78,732 =₹18391,294/–अनुदानों की राशि का उपयोग वेतन व भत्तों के उपर अनियमित रुप से किया गया है। विकास कार्य हेतु प्राप्त राशियों का उपयोग वेतन व भत्तों पर व्यय किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित तरीके से अनुदान राशि ₹183.91 लाख के व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया

जाये। अन्यथा राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके नियमानुसार उसी उदेश्य हेतु व्यय किया जाए जिस उदेश्य हेतु इसे प्राप्त किया गया था।

उपरोक्त अनुचित व्यय का मिलान इस प्रकार से हैः–

रोकड़ बही अन्तशेष 31.03.12 ₹13013167

अनुदानों का अन्तशेष 31.03.12 ₹22069153

Own Resonrces प्रारम्भिक शेष 1.04.12 ₹(–) 9055986

**वित्तीय स्थिति Own Resonrces**

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष | प्राप्ति | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | (–) 9055986 | 265,64,185 | 28142939 | (–) 10634740 |
| 2013–14 | (–) 106,34740 | 27054910 | 34811464 | (–) 18391294 |

## 7 गृहकर की बकाया ₹14.39 लाख की वसूली न करनाः–

नगर परिषद के अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/14 के परिषद द्वारा विवरणानुसार माह 3/14 तक गृहकर की बकाया राशि ₹1438857/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस राशि का विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है। गृहकर की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति की जाए। बकाया राशि की वसूली हेतु परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की नियमित वसूली न होने के कारण परिषद की वित्तीय स्थिति तथा विकासात्मक गतिविधियों प्रभावित हो रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विशेष है। अतः नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 के अन्तर्गत इस सन्दर्भ में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

## 8 दुकानों के किराये की बकाया ₹20.27 लाख की वसूली न करने बारेः–

नगर परिषद द्वारा विभिन्न दुकानदारों से **परिशिष्ट "ग"** में दर्शाये गये विवरणानुसार दिनांक 31.3.14 को दुकानों के किराया ₹2027188/– की वसूली करनी शेष थी। इस राशि को वसूल करने हेतु नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 89 (1) में विर्दिष्टत नियमो ंके अन्तर्गत विशेष कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि परिषद की वित्तीय स्थिति व विकासात्मक कार्य को बढ़ावा दिया जा सके।

## 9 मोबाईल टावर कम्पनियों से टावर फीस ₹3.32 लाख की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव (टी एंड सी0पी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या टी0सी0पी0 एफ (10)–6/2005 दिनांक 1.9.2006 द्वारा मोबाईल कम्यूनीकेशन टावरों को परिषद क्षेत्र में स्थापित करने हेतु बनाई गई निति में विर्निदिष्ट दिशा निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में मोबाईल टावरों को स्थापित करने की स्वीकृति परिषद से लेने के उपरान्त इन्स्टालेशन फोस ₹10000/– तथा एक वर्ष उपरान्त ₹5000/– रिनीयूल फीस वार्षिक देय होगें। परिषद द्वारा प्रस्तुत अभिलेख व विवरणी **परिशिष्ट "च"** के अनुसार दिनांक 31.3.14 को ₹332500/– टावर शुल्क वसूली हेतु शेष थे। अतः इस राशि की अतिशीघ्र वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

## 10 महिला छात्रावास बूथ इत्यादि का किराया ₹19.71 लाख वसूली हेतु शेषः–

कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई निम्न सूचना अनुसार ₹1970556/– महिला छात्रावास बूथ का किराया, बायोमैडिकल बेस्ट के रूप में दिनाँक 31.3.2014 को वसूली हेतु शेष थी। वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | महिला छात्रावास | ₹14900 | परिशिष्ट "छ i" |
| 2 | बूथ का किराया | ₹869625 | परिशिष्ट "छ ii" |
| 3 | बायो मैडिकल बेस्ट | ₹141031 | परिशिष्ट "छ iii" |
| 4 | जिला चुनाव कार्यालय से किराया | ₹945000 | परिशिष्ट "छ iv" |
| | **कुल** | **₹1970556** | |

नगर परिषद की आय के अपने स्त्रोत पहले ही बहुत सीमित है तथा जो भी आय के स्त्रोत है उनकी वसूली भी सही ढ़ंग से नहीं हो रही है जोकि चिन्ताजनक है परिणास्वरूप नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे है। बकाया राशि की वसूली शीघ्र करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए इसके अतिरिक्त महिला छात्रावास से तीन कमरे नवचेतना एसोसिएशन के पास गत कई वर्षों से व आधा छात्रावास सामाजिक कल्याण विभाग के पास गत 4–5 वर्षों से है लेकिन इन संस्थाओं/विभागों से कोई किराये की मांग नहीं की गई। इन सस्थाओं/विभाग से किराये की माँग/वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

## 11 दिनांक 31.3.2014 को अग्रिम राशि ₹28.41 समायोजन हेतु शेषः–

नगर परिषद कुल्लू द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु कर्मचारियो ंको अग्रिम राशियां प्रदान की गई थी जिस का ब्यौरा **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है। जिनमें से ₹2840550/– का समायेाजन दिनांक 31.3.2014 तक नहीं करवाया गया था। अतः उक्त असमायोजित अग्रिम ₹2840550/– का समायोजन शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 12 सेवानिवृत कर्मचारियों को भुगतान की गई राशियों से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

सेवा निवृत कर्मचारियों को स्वीकृत भुगतान योग्य राशियों व वास्तविक भुगतान की गई राशियों से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में भुगतान की गई राशियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी उदाहरण के तौर पर श्री सुदर्शन कुमार, सफाई सुपरवाईजर जो दिनांक 31.3.11 को सेवानिवृत हुऐ ंउन्हें ₹255940/– लीव एनकेशमैन्ट स्वीकृत हुई थी। इस राशि में से ₹1 लाख का अंशत भुगतान वाउचर संख्या 46 माह 11/13 में किया गया लेकिन रजिस्टर में इन्द्राज क अभाव में इन्हें कुल कितना भुगतान होना है व कितना किस वाउचर व माह में किया गया, सम्बन्धित कोइ भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया है, जिससे अभाव में ज्यादा या कम भुगतान होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सेवानिवृत कर्मचारियों की काफी राशियां कई वर्षों से भुगतान योग्य लम्बित है। अतः इसका स्पष्ट अभिलेख तैयार कर आगामी लेखा परीक्षा में पुष्टि कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 13 सोलिड बेस्ट मैनेजमैन्ट प्रोजेक्ट का सदुपयोग न करने बारेः–

वर्ष 2002 में सोलिंड बेस्ट मैनेजमैन्ट प्रोजेक्ट ₹167.25 लाख की लागत में पूर्ण किया गया था और इस प्रोजेक्ट सोलिड बेस्ट कूड़ा कचरे से 8 टन प्रतिदिन की खाद तैयार कर विक्रय की जानी थी। अंकेक्षण को उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार खाद का उत्पादन नाममात्र का रह गया है और खाद तैयार करने हेतु ठेके पर ठेकेदार द्वारा तैनात श्रमिकों की अंकेक्षण अवधि में परिषद द्वारा तीन गुणा वृद्धि की गई। वर्ष 4/2009 से खाद उत्पादन व विक्रय का विवरण **परिशिष्ट "झ"** निम्न प्रकार से है। यह प्रकरण परिषद के उच्च्य अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

| अवधि | प्रारम्भिक शेष | खाद उत्पादन | अवधि में बेची गई खाद | खाद बिक्री से प्राप्त आय | शेष खाद मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2009 से 12/09 | 4860 Kg | 13080 Kg | 15840 Kg | 56260 | 2100 Kg |
| 1/10 से 12/10 | 2100 Kg | 24515 Kg | 24725 Kg | 87080 | 1890 Kg |
| 1/11 से 12/11 | 1890 Kg | 28295 Kg | 8625 Kg | 31360 | 21560 Kg |
| 1/12 से 12/12 | 21560 Kg | 165185 Kg 1490 Kg | 15185 Kg (21560 Kg used in Municipal Parks) | 48280 | 1490 Kg |
| 1/13 से 12/13 | 1490 Kg | 4840 Kg | 3200 KG (1500 Kgs used in parks) | 11320 | 1630 Kg |
| 1/14 से 12/14 | 1630 Kg | 890 Kg | 1160 Kg (1000 Kg used in Parks) | 4340 | 360 Kg |

**(ख)** कूड़ा संयन्त्र खाद तैयार करने से पहले कूड़े की छांट/छंटाई हेतु अवधि 1.4.12 स 31.3.13 तक ठेके पर 10 श्रमिक कुल ₹40000/– प्रतिमाह पर तैनात किये गये। उपरोक्त छांट/छंटाई व खाद उत्पादन हेतु निविदा की शर्त 7 निम्न प्रकार से थी।

कुल्लू पालिका एरिया व नगर पंचायत भून्तर से कचरे में जितना भो गत्ता, शीशा, प्लास्टिक व लोहा इत्यादि आता है वह परिषद की प्राप्ति होगी व इसके एवज में ठेकेदार प्रतिमाह ₹3000/– परिषद में जमा करवाता था। वर्ष 1.4.13 से 9.9.2013 तक 10 श्रमिक ठेके पर लगाने हेतु ₹47000 प्रतिमाह का ठेका किया गया व इस निविदा में उपरोक्त दर्शित शर्त 7 को हटा कर परिषद को गत्ता, शीशा, प्लास्टिक व लोहे इत्यादि के एवज में प्रतिमाह ₹3000 की प्राप्ति की हानि हुई। इसके अतिरिक्त अवधि 10.9.13 से 30.9.14 तक की अवधि में ठेके के श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर 30 श्रमिक ₹166000/– प्रतिमाह पर तैनात किये गये जबकि खाद उत्पादन में अत्याधिक कमी आई है। अतः उपरोक्त सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट प्रोजेक्ट जो ₹167.25 लाख की लागत से पूर्ण हुआ था। इस प्रोजेक्ट से नाममात्र का खाद उत्पादन व माह 9/13 से 30.9.14 तक 10 श्रमिकों के स्थान पर 30 श्रमिकों को ठेके पर

तैनाती कर लाखों रुपयों का अपव्यय किया जा रहा है अतः यह प्रकरण निदेशक, शहरी विकास शिमला के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि परिषद क अपव्यय पर रोक लगाई जा सके।

**14 सक्षम अधिकारी की बिना स्वीकृति प्राप्त किये ₹12.95 लाख का अनियमित व्ययः–**

सोलिड बेस्ट प्रबन्ध के अन्तगत पिरड़ी कूड़ा कर्कट डपिंग साईट में गढे करके कूड़ा दबाने हेतु दिनांक 30.6.2012 को निविदाए कवल एक अखबार अजित समाचार (जो बहुत प्रचलित नहीं है) में प्रकाशन किया गया जबकि निविदा का प्रचलित अखबारों में प्रकाशन किया जाना अपेक्षित है ताकि बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सके। श्री चमन लाल संविदाकार को बिना औपचारिकता पूर्ण किये आबंटन किया गया।

| Sr. No. | Name of Work | Rate | Earnest Money ₹5000 Cost of Tender ₹200 form |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiring of J.C.B. (ordinary) | | |
| 2 | Hiring of J.C.B.-110 | Per Hour | |
| 3 | Hiring of J.C.B. Volvo | | |
| 4 | Hiring of Tipper/Dumper | Per day | |

उपरोक्त कार्य का निष्पादन करने हेतु कोई प्राकलन तैयार नहीं किया गया न ही सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू द्वारा निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश को कायोत्तर तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया जो निदेशालय के पत्र संख्या यू0डी0–एच(जी) (1) कुल्लू 24877 दिनांक 21.3.13 द्वारा निरस्त (रिजैक्ट) कर दिया गया। परिषद द्वारा संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹1294650/–का अनियमित भुगतान किया गया।

| | |
|---|---|
| वाउचर संख्या 3 माह 2/14 | ₹300000 |
| वाउचर संख्या 46 माह 3/14 | ₹300000 |
| वाउचर संख्या 55 माह 5/14 | ₹666168 |
| **कुल भुगतान** | **₹1266168 व 28482 टैक्स** |
| **कुल व्यय** | **1294650** |

अतः पैरा 13 में दर्शित कूड़ा कर्कट से उत्पादित खाद, ठेकेदार के श्रमिकों में तीन गुणा वृद्धि व तत्पश्चात कूड़ा कर्कट को गढों में दवानें हेतु किए ₹12.95 लाख का अनियमित व्यय निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के ध्यानार्थ यथोचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

## 15 यात्री वाहन को माल वाहक वाहन बनाकर ₹2.02 लाख का अपव्ययः—

नगर परिषद में एक टाटा सूमो यात्री वाहन एच0पी0 34—3666 जो अच्छी हालत में चल रही थी। इस वाहन को वाउचर संख्या 41 माह 11/13 ₹197860+टैक्स ₹4451=₹202311 व्यय कर मै0 ककड़ एसोसिऐट लुधियाना से फैब्रिकेट कर डाला लगाकर कूड़ा उठाने हेतु मालवाहक वाहन में तबदील कर दिया गया। कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्रांक 3293 दिनांक 11.9.2014 द्वारा क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी कुल्लू को यात्री वाहन से मालवाहक वाहन पास करने हेतु पत्र लिखा लेकिन यह गाड़ी पास नहीं हो सकी क्योंकि गाड़ी निर्माता द्वारा तैयार वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अपनी मर्जी से फेब्रिकेट नहीं किया जा सकता। अतः ₹2.02 लाख का व्यय कर यह मालवाक वाहन पास न होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका व परिषद के पास कवाड़ के रूप में अनुपयोगी खड़ा है। अतः ₹2.02 का अपव्यय किया गया यह प्रकरण निदेशक शहरी विकास विभाग के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस गाड़ी में दिनांक 8.8.14 को 40 लीटर डीजल ₹2338/— का डलवाया गया लेकिन गाड़ी चलाई नहीं जा सकी। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए डीजल का सदुपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 16 कुल्लू दशहरा मेले समिति से ₹60.53 लाख प्राप्त न करनाः—

दशहरा उत्सव का आयोजन नगर परिषद व उपायुक्त कुल्लू द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के निर्णय व पालना में मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश संख्या LCD-E(1)-2/2002 पार्ट—1 दिनांक 7.4.05 द्वारा दशहरा समिति द्वारा नगर परिषद को कुल प्राप्ति का 37**%** शेयर प्रतिवर्ष दिया जाना अपेक्षित था। परिषद द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31.3.14 तक ₹6052967/— की राशि दशहरा समिति द्वारा **परिशिष्ट "ङ"** अनुसार परिषद को प्रदान ही नहीं की है और विवरणी

में दशहरा समिति द्वारा वर्ष 2012–13 व 2013–14 को परिषद को 37% कितना शेयर देना था का आंकडा भी परिषद के पास मौजूद नहीं था। अतः सरकार द्वारा पारित आदेशों की पालना में दशहरा समिति से कुल बकाया राशि अतिशीघ्र प्राप्त की जाए।

## 17 निर्माण कार्य में अनियमितताऐंः–

निर्माण कार्य C/O Parking Place near Ashoka Drydeaner Ramshila का प्राकलन ₹47. 90 लाख का तैयार करके दिनांक 13.11.2010 को संविदाकार को आंबटित किया गया। इस कार्य की समय अवधि छः माह थी और निदेशक शहरी विकास द्वारा ₹24.55 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति व शेष राशि परिषद निधि से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की। यह कार्य दिनांक 8.8.2012 को ₹3776837/– की लागत मे माप पुस्तिका 30 पृष्ठ 84 में पूर्ण हुआ लेकिन वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण संविदाकार को अंकेक्षण समाप्ति तक ₹1108946/– का भुगतान नहीं किया गया है। अभिलेख की जाँच के उपरान्त निम्न अनियमितताऐं पाई गईः–

**(क)** प्राकलन में भवन सामग्री रेत, बजरी व पत्थर ईत्यादि को गडसा नाम के स्थान जो कुल्लू से 35 किलोमीटर दूरी दर्शाकर तैयार किया गया था जबकि कार्य स्थल नदी से साथ ही था, संविदाकार ने बोल्डर को नदी के साथ स्थान से एकत्र कर उपयोग किया इस बारे संविदाकार को निम्न नोटिस भी दिये गये।

(i) कार्यकारी अधिकारो के पत्र संख्या 779 दिनांक 22.2.11

(ii) कार्यकारी अधिकारी क पत्र संख्या 810 दिनांक 14.3.11

(iii) सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कुल्लू के पत्र संख्या 1366–68 दिनांक 8.3.2011

(iv) प्रधान नगर परिषद के पत्र संख्या 3 दिनांक 10.1.12

आंबटन पत्र की शर्त 19 के अनुसार Receipt of royality bills from source of acquisition shall be endersed to this office परन्तु संविदाकार द्वारा कोई भी एम फार्म परिषद में प्रस्तुत नहीं किया कार्य मद Boulder filling कुल 2216.44 cum दर ₹850 प्रति cum की दर से कुल ₹1883974/– का कार्य किया गया लेकिन बिना एम फार्म की प्रस्तुती व कार्य स्थान से ही पत्थर एकत्र करके कार्य में लगाने की कोई कटौती नहीं की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

**(ख)** आंबटन पत्र की शर्त 4 के अनुसार संविदाकार यदि कार्य समय अवधि छः माह में पूर्ण नहीं करता तो उसे ₹38944/– प्रतिदिन का दण्ड लगाये जाने का प्रावधान था। संविदाकार द्वारा कार्य समय अवधि की समाप्ति से भी 1 वर्ष पश्चात पूर्ण किया। समय अवधि बढ़ाने की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई और न ही दण्ड लगाया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व व्यय को सक्षम की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा संविदाकार से नियमानुसार दण्ड राशि वसूल की जाए।

## (ग) भारी विचलन की अवस्था में संशोधित प्राकलन तैयार न करनाः–

निर्माण कार्य में कार्य मदो में भारी विचलन हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| **क्र0सं0** | **संक्षिप्त मद** | **प्राकलित मात्रा** | **निष्पादित मात्रा** | **अधिक मात्रा** | **भुगतान दर** | **कुल विचलन राशि** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavation | 387.60 cum | 522.50 cum | 134.90 cum | 269 प्रति cum | 36288 |
| 2 | C.C. 1:2:4<br>foundation walls | 69.85 cum<br>133.11 cum | 78.87 cum<br>146.03 cum | 9.02 cum<br>12.92 cum | 3500 प्रति cum<br>3600 प्रति cum | 31570<br>46512 |
| 3 | Boulder filling | 1397.62 cum | 2216.44 cum | 818.82 cum | 850 प्रति cum | 695997 |
| | | | | | **कुल** | **810367** |

उपरोक्त कार्य को निष्पादन करने हेतु सक्षम अधिकारी की संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए सक्षम अधिकारी की संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाए।

## 18 निर्माण कार्य बिलों से वर्ष 2012–13 व वर्ष 2013–14 में 1 प्रतिशत लेबर सैस की कटौती न करनाः–

अंकेक्षण अवधि में निर्माण कार्य बिलों से 1 प्रतिशत लेबर सैस नियमानुसार कुल निष्पादित काय पर कटौती ही नहीं की गई। "The building and other construction worker welfare cess Act 1996 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत 1 प्रतिशत लेबर सैस की कटौती कर

सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण अवधि में ज्यादाकर बिल तैयार तो किये है लेकिन वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण पारित नहीं किये है जैसा कि **परिशिष्ट "ट"** में भी स्पष्ट है। अतः भुगतान के समय निर्माण कार्य बिलों से लेबर सैस की कटौती कर सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**19 ₹10 लाख निर्माण कार्य के समापन प्रमाण पत्र व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–**

एक निर्माण कार्य "C/O Foot path beside N.H. 21 from bhutti Chowk upto Dhalpur हेतु अधिशासी अभियन्ता अभियान्त्रिक मण्डल कुल्लू को क्रमशः वाउचर संख्या 47 माह 11/13 व वाउचर शून्य दिनांक 6.8.13 को ₹5 लाख प्रत्येक कुल ₹10 लाख का भुगतान किया गया। इस कार्य के समापन प्रमाण पत्र व उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं किये गये व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों तथा शेष अपव्यय राशि को अविलम्ब प्राप्त कर आगामी लेखा परीक्षा मे ंपुष्टि कराई जाए।

**20 दिनांक 31.3.14 को परिषद का कुल दायित्व ₹1055.48 लाख शेषः–**

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2014 तक कुल दायित्व ₹105547769 है। **(परिशिष्ट "ट")** जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| **क्र0सं0** | **दायित्व की मद** | **भुगतान योग्य राशि** | **संक्षिप्त विवरण** |
|---|---|---|---|
| 1 | कर्मचारियों के बकाया भुगतान | 11717030 | वेतनमानों की बकाया राशि भुगतान जी0पी0एफ0 सी0पी0एफ0 ईत्यादि की कटौती बिलो ंसे की गई लेकिन राशियां जमा करवानी शेष |
| 2 | सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाया भुगतान | 13760370 | वेतनमानों की बकाया राशि ग्रेच्युटी लीव इनकेशमैनट ग्रेच्युटी महंगाई भत्ता बकाया राशि मैडीकल बिल इत्यादि |
| 3 | महंगाई भत्ता बकाया बिल | 1595148 | भुगतान योग्य शेष बिल |
| 4 | सीवरेज | 6000000 | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरण राशि शेष |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | बिजली बिल | 22000000 | यह राशि विद्युत परिषद को अधिभार राशि केवल भुगतान योग्य शेष |
| 6 | पानी बिल | 1053004 | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को भुगतान योग्य शेष |
| 7 | स्व रोज़गार योजना | 749990 | लाभार्थियों को भुगतान योग्य शेष |
| 8 | सर्विस टैक्स | 7401340 | भुगतान योग्य |
| 9 | निर्माण कार्य बिल | 41270887 | निर्माण कार्य किये गये लेकिन राशियां भुगतान योग्य शेष |
| **कुल भुगतान योग्य दायित्व राशि** | | **105547769** | |

उपरोक्त भुगतान योग्य शेष राशि परिषद के कुवित्तीय प्रबन्धन को दर्शाती है और परिषद की वित्तीय स्थिति चिन्ताजनक है जिसे के सुधार हेतु विशेष प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है।

## 21 गृहकर का निर्धारण समय–2 पर न करने के फलस्वरूप परिषद को वित्तीय हानिः–

परिषद द्वारा म्यूनिसिपल अधिनियम 1994 की धारा 77 में विनिर्दिष्ट नियमो के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल मे गृह कर का निर्धारण अपेक्षित था। उपरोक्त अधिनियम की धारा निम्न प्रकार से हैः–

"It shall be in the discretion of the municipality to prepare for the whole or any part of the municipality area a new assessment list every year or to adopt the valuation and assessment contained in the list for any year with such alterations as may in particular cases be deemed necessary as the valuation and assessment for the year giving to persons affected by such alterations the notice of the valuation and assessment as if a new assessment list had beed prepared

Provided that the valuation and assessment contained in the list for any year shall not be adopted for a period exceeding five years.

परिषद द्वारा गृहकर का निर्धारण वर्ष 1996 में किया बताया गया जिससे गत कई वर्षों से एक समान गृह कर मांग ₹12.90 लाख प्रतिवष की जाती रही वर्ष 2013–14 में

भी गृहकर मांग ₹12.90 लाख थी वर्ष 1996 के बाद उपरोक्त दर्शित नियमों की पालना में गृह कर निर्धारण प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल बाद संशोधित निर्धारित किया जाना था यह निर्धारण वर्ष 2001, वर्ष 2006, वर्ष 2011 मे संशोधित किया जाना अपेक्षित था। गत वर्षों में कई घरों के नक्शे भी पास हुए लेकिन मांग में वृद्धि नहीं दर्ज की गई। परिषद द्वारा गृहकर का सर्वे वर्ष 2012–13 में किया गया इस सर्वे के अनुसार वर्ष 2014–15 में मांग 12.90 लाख से बढ़कर ₹167.38 लाख प्रतिवर्ष हो गई **(परिशिष्ट "ढ")** लेकिन अधिनियम की धारा 76 (2) की पालना मे प्रत्येक गृह मालिक से मांग की सुनवाई परिषद द्वारा करने से इस मांग में 10 से 20**%** की कटौती सम्भावित है और वर्ष 2014–15 में गत वर्षों की मांग से 10 गुणा अधिक का एकत्रीकरण सम्भावित है। अतः अधिनियम की धारा 77 की पालना यदि प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल के बाद निर्धारण किया जाता तो गत कई वर्षों में एकत्रीकरण में परिषद को करोड़ों ₹ की अतिरिक्त प्राप्ति होती व परिषद की वित्तीय स्थिति व दायित्व की स्थिति चिन्ताजनक न होती। अतः उपरोक्त दर्शित नियमों की अनदेखी कर समय–2 पर गृह कर का निर्धारण न करने का मामला निदेशक शहरी विकास के ध्यान में यथोचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है।

**22** **लघु आपत्ति विवरणीः**– लधु आपत्तियो का निपटारा अंकेक्षण क दौरान स्थल पर ही कर दिया गया।

**23** **निष्कर्षः**– गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों के समायोजन हेतु ठोंस कदम उठायें जाने एवं सुदृढ़ लेखांकन प्रणाली हेतु लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,<br>
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,<br>
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः V (13) फिन (एल0ए0डी0) खण्ड–2–3160–3161 दिनांक 08.06.15, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

**पंजीकृत** 1 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2 निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0, शिमला–171002

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

## परिशिष्ट I-क पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

**नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों अवधि 1/1953 से 31.3.2012 के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति**

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/53 से 3/56**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 | अनिर्णीत |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/56 से 3/57**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–10 (क) | अनिर्णीत |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/58 से 3/59**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–8 (2) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–8 (3) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–8 (4) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–8 (6) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–9 | अनिर्णीत |

**(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/59 से 3/60**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 | अनिर्णीत |

**(ङ) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0) की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या (5) (100) 3634 दिनांक 14.11.1961**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–1 (1) (4) | अनिर्णीत |

**(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/60 से 3/61**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–13 (2) (4) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–16 (3) | अनिर्णीत |

**(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/61 से 3/62**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–11 (3) | अनिर्णीत |

**(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/62 से 3/64**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 (1) (2) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–8 (2) (3) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–10 (1, 2, 3, 8) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–10 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–14 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–16 (2) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–17 (2) | अनिर्णीत |

**(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/64 से 3/66**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–9 (a) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–11 (a) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–11 (d) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–12 (5) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–13 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–14 (ए) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–14 (बी) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–17 (4) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–20 (ए) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–20 (बी) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | पैरा–24 (2) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–24 (3) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–24 (4) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–24 (5) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–24 (6) | अनिर्णीत |

**(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/66 से 3/67**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–11 (1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–11 (2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–11 (ई) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–15 (1) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–16 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–17 (8) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–17 (13) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–18 (3) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–19 (4) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–20 (3) | अनिर्णीत |

**(ट) उप सचिव (बंजार) की 6/70 तथा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0) की दिनांक 6.7.1973 की निरीक्षण रिपोर्ट**

उक्त निरीक्षण रिपोर्ट अंकेक्षण में पुनः प्रस्तुत नहीं की गई और न ही सटिप्पण उतर तैयार किये गये थे जिस पर तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित की जाये।

**(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/67 से 3/71**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–1 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–12 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–13 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–16 (2) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–16 (3) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | पैरा—16 (4) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा—16 (5) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा—16 (6) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा—17 (ए) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा—17 (बी) (1) (2) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा—17 (सी) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा—18 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा—19 | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा—20 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा—21 (1) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा—21 (2) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा—21 (3) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा—22 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा—23 | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा—25 | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा—26 | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा—27 | अनिर्णीत |

**(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/71 से 3/74**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा—8 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा—13 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा—15 (1) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा—15 (2) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा—15 (3) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा—15 (5) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा—17 (ए) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा—17 (बी) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा—17 (सी) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा—17 (डी) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा—17 (ई) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | पैरा–17 (एफ) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–17 (जी) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–17 (2) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–17 (3) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–20 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–20 (3) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–24 (2) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–24 (6) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–24 (7) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–24 (8) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–25 | अनिर्णीत |

**(ढ) 1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/76**

**2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/78**

**3 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/78 से 3/80**

उक्त अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों को इस बार भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उन पर कोई अपेक्षित कार्यवाही की गई थी।

**(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–7 (2) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–9 (21) | अनिर्णीत |

**(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 (ए) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–4 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–5 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–6 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–7 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–8 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–9 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | पैरा–10 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–12 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–13 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–14 (1) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–14 (2) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–14 (3) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–14 (4) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–14 (6) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–14 (7) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–14 (ए) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–14 (बी) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–14 (8) (बी) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–14 (9) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–14 (10) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–15 | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–16 | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–17 | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–18 | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–19 (ए) (2) (3) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–19 (बी) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–20 | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–21 | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–22 | अनिर्णीत |

**(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/84**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 (ए बी) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–4 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–5 (ए) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–5 (सी) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | पैरा–5 (सो) (1, 2) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–6 (2) (2) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–7 (1 से 6) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–9 (1, 2) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–10 (1, 2) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–12 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–13 (ए) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–13 (बी) (1 2) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–14 (ए) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–15 (ए से एफ) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–16 (1, 2, 3) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–17 (ए, बी) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–18 (ए, बी) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–18 (एफ) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–19 (1, 2, 3) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–23 | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–24 (1) (ए, बी, सी) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–24 (2, 3, 4) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–25 (बी) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–25 (डी, ई) | अनिर्णीत |

**(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.2.91 से 31.3.92**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 (ख) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–4 (क) (5) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–4 (क) (7) (8) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–7 (ग) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–8 (1) (2) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–9 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–10 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–12 (1) (2) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–13 (3) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–15 (क) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–15 (ख) (1, 2) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–15 (ख) (6) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–15 (ख) (9 से 13) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–18 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–19 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–20 | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–22 (1, 2, 3) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–25 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–27 (2, 3) | अनिर्णीत |

**(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–8 (ख, ग) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–9 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–10 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–12 (1, 2) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–13 (1, 2) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–14 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–15 (1, 3) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–16 (क) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–16 (ख) (3, 5, 7) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–16 (ख) 11 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–17 (1 से 4) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–18 | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–19 (क, ख) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | पैरा–21 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–23 (1 3) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–24 (1, 2, 3, 4) | अनिर्णीत |

**(न) निरीक्षण प्रतिवेदन संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–1 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–3 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–4 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–5 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–9 | अनिर्णीत |

**(प) अंकेक्षण प्रतिवेंदन अवधि 4/93 से 3/94**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 (ख) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–8 (क) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–8 (ख) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–8 (ग) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–9 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–10 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–12 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–13 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–14 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–15 (ख) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–16 (क) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–16 (ख) (1, 2, 3, 4, 6) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–17 (1, 2, 3) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–18 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–19 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–20 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | पैरा–21 (2) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–23 (2) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–24 (1, 2) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–25 (2, 3) | अनिर्णीत |

**(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 (ख) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–7 (क) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–7 (ख) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–7 (ग) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–7 (घ) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–8 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–9 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–10 (2) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–12 (1) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–12 (2) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–13 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–14 (1) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–14 (2) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–14 (3) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–14 (5) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–14 (6) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–14 (7) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–14 (8) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–14 (9) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–14 (10) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–14 (11) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–14 (12) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | पैरा–14 (13) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–14 (14) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–14 (15) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–14 (16) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–14 (17) (1) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–14 (17) (2) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–14 (18) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–14 (19) (1) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–14 (19) (2) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा–14 (20) (1) (2) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा–14 (21) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा–14(22) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा–14 (23) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा–14 (24) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–14 (25) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–14 (26) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा–14 (27) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा–14 (28) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा–14 (29) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा–14 (30) (1, 2) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा–14 (31) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा–14 (32) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा–14 (33) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा–14 (35) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा–14 (37) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा–14 (38) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा–14 (41) | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा–16 (5) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा–17 (क) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा–17 (ख) (2) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 54 | पैरा–17 (ग) (2) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा–17 (ग) (3) | अनिर्णीत |
| 56 | पैरा–17 (घ) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा–18 | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा–19 (1) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा–19 (2) | अनिर्णीत |
| 60 | पैरा–19 (3) | अनिर्णीत |
| 61 | पैरा–19 (4) | अनिर्णीत |
| 62 | पैरा–20 (1) | अनिर्णीत |
| 63 | पैरा–20 (2) | अनिर्णीत |
| 64 | पैरा–20 (3) | अनिर्णीत |
| 65 | पैरा–20 (4) | अनिर्णीत |
| 66 | पैरा–20 (5) | अनिर्णीत |
| 67 | पैरा–21 | अनिर्णीत |
| 68 | पैरा–22 (1) | अनिर्णीत |
| 69 | पैरा–22 (2) | अनिर्णीत |
| 70 | पैरा–22 (5) (1, 2, 3, 4) | अनिर्णीत |
| 71 | पैरा–22 (6) | अनिर्णीत |
| 72 | पैरा–22 (7) | अनिर्णीत |
| 73 | पैरा–23 | अनिर्णीत |
| 74 | पैरा–24 | अनिर्णीत |
| 75 | पैरा–25 | अनिर्णीत |
| 76 | पैरा–26 (1) | अनिर्णीत |
| 77 | पैरा–26 (2) | अनिर्णीत |
| 78 | पैरा–26 (3) | अनिर्णीत |
| 79 | पैरा–26 (4) | अनिर्णीत |
| 80 | पैरा–26 (5) | अनिर्णीत |
| 81 | पैरा–26 (6) | अनिर्णीत |
| 82 | पैरा–26 (7) | अनिर्णीत |

**(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2001**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 (क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–5 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–6 (क) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–6 (ख) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–6 (घ) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–7 (क) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–7 (ख) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–8 (क) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–8 (ख) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–8 (ग) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–9 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–10 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–11 (क) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–11 (ख) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–12 (क) | आंशिक निर्णीत |
| 16 | पैरा–13 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–14 (क) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–14 (ख) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–14 (ग) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–14 (घ) (1) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–14 (घ) (2) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–14 (ङ) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–14 (छ) (2) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–14 (झ) (1) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–14 (ञ) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–14 (त) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–14 (थ) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–14 (द) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–15 (1) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | पैरा–15 (2) (1, 2, 3, 5, 6, 7) | आंशिक निर्णीत |
| 31 | पैरा–16 (2) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–17 | आंशिक निर्णीत |
| 33 | पैरा–18 (1) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा–18 (2) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा–18 (3) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा–19 (1) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा–19 (2) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–20 (1) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–20 (2) | अनिर्णीत |

**(भ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 3/2007**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–1 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–2 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–4 (a) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–4 (b) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–4 (c) (i) से (iv) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–4 (c) (1 ,2) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–4 (d) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–4 (e) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–4 (f) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–4 (g) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–4 (h) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–4 (i) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–4 (j) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–4 (k) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–4 (l) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–4 (m) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–4 (n) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–4 (o) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | पैरा–4 (p) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–4 (q) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–4 (r) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–5 (a) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–5 (b) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–5 (c) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–5 (d) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–5 (e)(i) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–5 (e)(ii) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–5 (e) (iii) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–5 (f) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–5 (g) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–5 (h) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–6 (a) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा–6 (b) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा–6 (c) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा–6 (d) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा–6 (e) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा–6 (f) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–6 (g) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–6 (h) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा–6 (i) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा–6 (j) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा–6 (k) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा–6 (l) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा–6 (m) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा–6 (n) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा–6 (o) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा–6 (p) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा–6 (q) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 49 | पैरा–6 (r) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा–6 (s) | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा–6 (t) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा–6 (u) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा–6 (v) | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा–6 (w) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा–6 (x) | अनिर्णीत |
| 56 | पैरा–6 (y) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा–6 (z) | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा–6 (A) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा–6 (B) | अनिर्णीत |
| 60 | पैरा–6 (C) (क ख ग) | अनिर्णीत |
| 61 | पैरा–6 (D) | अनिर्णीत |
| 62 | पैरा–6 (E) | अनिर्णीत |
| 63 | पैरा–6 (F) | अनिर्णीत |
| 64 | पैरा–6 (G) | अनिर्णीत |
| 65 | पैरा–6 (H) | अनिर्णीत |
| 66 | पैरा–6 (I) | अनिर्णीत |
| 67 | पैरा–6 (J) | अनिर्णीत |
| 68 | पैरा–6 (K) | अनिर्णीत |
| 69 | पैरा–6 (L) | अनिर्णीत |
| 70 | पैरा–6 (M) | अनिर्णीत |
| 71 | पैरा–6 (N) | अनिर्णीत |
| 72 | पैरा–6 (O) | अनिर्णीत |
| 73 | पैरा–6 (P) | अनिर्णीत |
| 74 | पैरा–6 (Q) | अनिर्णीत |
| 75 | पैरा–6 (R) | अनिर्णीत |
| 76 | पैरा–6 (S) | अनिर्णीत |
| 77 | पैरा–6 (T) | अनिर्णीत |
| 78 | पैरा–6 (U) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 79 | पैरा–6 (V) | अनिर्णीत |
| 80 | पैरा–6 (V) (क ख ग घ) | अनिर्णीत |
| 81 | पैरा–6 (X) | अनिर्णीत |
| 82 | पैरा–6 (Y) | अनिर्णीत |
| 83 | पैरा–6 (Z) | अनिर्णीत |
| 84 | पैरा–6 (a-1) | अनिर्णीत |
| 85 | पैरा–6 (a-2) | अनिर्णीत |
| 86 | पैरा–6 (b-1) | अनिर्णीत |
| 87 | पैरा–6 (c-1) | अनिर्णीत |
| 88 | पैरा–6 (d-1) | अनिर्णीत |
| 89 | पैरा–6 (e-1) (क से छ) | अनिर्णीत |
| 90 | पैरा–6 (f-1) | अनिर्णीत |
| 91 | पैरा–6 (g-1) | अनिर्णीत |
| 92 | पैरा–6 (h-1) | अनिर्णीत |
| 93 | पैरा–6 (i-1) | अनिर्णीत |
| 94 | पैरा–6 (j-1) | अनिर्णीत |
| 95 | पैरा–6 (k-1) | अनिर्णीत |
| 96 | पैरा–6 (l-1) | अनिर्णीत |
| 97 | पैरा–6 (m-1) | अनिर्णीत |
| 98 | पैरा–6 (n-1) | अनिर्णीत |
| 99 | पैरा–6 (O-1) | अनिर्णीत |
| 100 | पैरा–6 (P-1) | अनिर्णीत |
| 101 | पैरा–6 (Q-1) | अनिर्णीत |
| 102 | पैरा–6 (R-1) | अनिर्णीत |
| 103 | पैरा–6 (S-1) | अनिर्णीत |
| 104 | पैरा–6 (T-1) | अनिर्णीत |
| 105 | पैरा–6 (U-1) | अनिर्णीत |
| 106 | पैरा–6 (V-1) | अनिर्णीत |
| 107 | पैरा–6 (W-1) | अनिर्णीत |
| 108 | पैरा–6 (X-1) | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 109 | पैरा–6 | (Y-1) | अनिर्णीत |
| 110 | पैरा–6 | (Z-1) | अनिर्णीत |
| 111 | पैरा–6 | (i) | अनिर्णीत |
| 112 | पैरा–6 | (ii) | अनिर्णीत |
| 113 | पैरा–6 | (iii) | अनिर्णीत |
| 114 | पैरा–7 | (a) | अनिर्णीत |
| 115 | पैरा–7 | (b) | अनिर्णीत |
| 116 | पैरा–7 | (c) | अनिर्णीत |
| 117 | पैरा–7 | (d) | अनिर्णीत |
| 118 | पैरा–7 | (e) | अनिर्णीत |
| 119 | पैरा–7 | (f) | अनिर्णीत |
| 120 | पैरा–7 | (g) | अनिर्णीत |
| 121 | पैरा–7 | (h) | अनिर्णीत |
| 122 | पैरा–7 | (i) | अनिर्णीत |
| 123 | पैरा–7 | (j) | अनिर्णीत |
| 124 | पैरा–7 | (k) | अनिर्णीत |
| 125 | पैरा–7 | (l) | अनिर्णीत |
| 126 | पैरा–7 | (m) | अनिर्णीत |
| 127 | पैरा–7 | (n) (a, b) | अनिर्णीत |
| 128 | पैरा–7 | (o) | अनिर्णीत |
| 129 | पैरा–7 | (p) | अनिर्णीत |
| 130 | पैरा–7 | (q) | अनिर्णीत |
| 131 | पैरा–8 | (a) | अनिर्णीत |
| 132 | पैरा–8 | (b) | अनिर्णीत |
| 133 | पैरा–8 | (c) | अनिर्णीत |
| 134 | पैरा–8 | (d) | अनिर्णीत |
| 135 | पैरा–8 | (d) (1, 2, 3, 4, 5) | अनिर्णीत |
| 136 | पैरा–8 | (d) (6) (1, 2, 3) | अनिर्णीत |
| 137 | पैरा–8 | (e) (1, 2) | अनिर्णीत |
| 138 | पैरा–9 | (a) | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 139 | पैरा–9 (b) | | अनिर्णीत |
| 140 | पैरा–9 (c) | | अनिर्णीत |
| 141 | पैरा–9 (d) | | अनिर्णीत |
| 142 | पैरा–9 (e) | | अनिर्णीत |
| 143 | पैरा–9 (f) | | अनिर्णीत |
| 144 | पैरा–9 (g) | | अनिर्णीत |
| 145 | पैरा–9 (h) (i) से (iv) | | अनिर्णीत |

**(म) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क 4/07 से 3/10 व 4/10 से 3/12 कुल ₹123100/– ड्राफ्ट संख्या 363935 दिनांक 21.1.15 द्वारा प्रेषित) |
| 2 | पैरा–4 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–4 (क) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–4 (ख) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–4 (ग) | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा–4 (घ) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–4 (ङ) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा–4 (च) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा–4 (छ) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–5 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–5 (क) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा–5 (ख) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा–5 (ग) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा–6 (1) | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा–6 (2) | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा–6 (3) | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा–6 (4) | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा–6 (5) | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा–6 (6) | अनिर्णीत | |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | पैरा–6 (8) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–6 (9) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–6 (10) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–6 (11) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–6 (12) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–7 | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–7 (i) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–7 (ii) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–7 (2) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–7 (3) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–7 (4) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–7 (5) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–8 (1) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा–8 (2) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा–8 (3) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा–8 (4) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा–8 (5) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा–8 (6) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–8 (6) (क) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–8 (6) (ख) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा–8 (6 ) (ग) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा–8 (7) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा–8 (7) (क) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा–8 (7) (ख) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा–8 (7) (ग) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा–8 (7) (घ) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा–8 (7) (ङ) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा–8 (8) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा–8 (8) (क) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा–8 (8) (ख) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 50 | पैरा–8 (8) (ग) | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा–8 (8) (घ) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा–8 (9) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा–8 (10) | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा–8 (11) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा–8 (12) | अनिर्णीत |
| 56 | पैरा–8 (13) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा–8 (13) (क) | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा–8 (13) (ख) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा–8 (13) (ग) | अनिर्णीत |
| 60 | पैरा–8 (13) (घ) | अनिर्णीत |
| 61 | पैरा–8 (13) (ङ) | अनिर्णीत |
| 62 | पैरा–8 (14) | अनिर्णीत |
| 63 | पैरा–8 (15) | अनिर्णीत |
| 64 | पैरा–8 (15) (क) | अनिर्णीत |
| 65 | पैरा–8 (15) (ख) | अनिर्णीत |
| 66 | पैरा–8 (15) (ग) | अनिर्णीत |
| 67 | पैरा–8 (16) | अनिर्णीत |
| 68 | पैरा–8 (16) (क) | अनिर्णीत |
| 69 | पैरा–8 (16) (ख) | अनिर्णीत |
| 70 | पैरा–8 (17) | अनिर्णीत |
| 71 | पैरा–8 (18) | अनिर्णीत |
| 72 | पैरा–8 (19) | अनिर्णीत |
| 73 | पैरा–8 (20) | अनिर्णीत |
| 74 | पैरा–8 (21) | अनिर्णीत |
| 75 | पैरा–8 (22) | अनिर्णीत |
| 76 | पैरा–8 (23) | अनिर्णीत |
| 77 | पैरा–8 (23) (क) | अनिर्णीत |
| 78 | पैरा–8 (23) (ख) | अनिर्णीत |
| 79 | पैरा–8 (23) (ग) | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80 | पैरा–8 (24) | अनिर्णीत | |
| 81 | पैरा–8 (25) | अनिर्णीत | |
| 82 | पैरा–9 (1) | अनिर्णीत | |
| 83 | पैरा–9 (2) | अनिर्णीत | |
| 84 | पैरा–9 (2) (क) | अनिर्णीत | |
| 85 | पैरा–9 (2) (ख) | अनिर्णीत | |
| 86 | पैरा–9 (3) | अनिर्णीत | |
| 87 | पैरा–9 (4) | अनिर्णीत | |
| 88 | पैरा–9 (5) | अनिर्णीत | |
| 89 | पैरा–9 (6) | अनिर्णीत | |
| 90 | पैरा–9 (7) | अनिर्णीत | |
| 91 | पैरा–9 (8) | अनिर्णीत | |
| 92 | पैरा–9 (क) | अनिर्णीत | |
| 93 | पैरा–9 (ख) | अनिर्णीत | |
| 94 | पैरा–10 (1) | अनिर्णीत | |
| 95 | पैरा–10 (2) | अनिर्णीत | |
| 96 | पैरा–10 (3) | अनिर्णीत | |
| 97 | पैरा–10 (4) | अनिर्णीत | |
| 98 | पैरा–10 (5) | अनिर्णीत | |
| 99 | पैरा–11 (1) | निर्णीत | (पैरा पुनः संशोधित प्रारूपित) |
| 100 | पैरा–11 (2) (क) | अनिर्णीत | |
| 101 | पैरा–11 (2) (ख) | अनिर्णीत | |
| 102 | पैरा–11 (3) | अनिर्णीत | |
| 103 | पैरा–11 (4) (क) | अनिर्णीत | |
| 104 | पैरा–11 (4) (ख) | अनिर्णीत | |
| 105 | पैरा–12 | अनिर्णीत | |
| 106 | पैरा–13 | अनिर्णीत | |

**(य) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क4/07 से 3/10 व 4/10 से 3/12 कुल ₹123100 ड्राफ्ट सं0 363935 दिनाँक 21.01.15 |



N.P. Kullu

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | द्वारा प्रेषित। |
| 2 | पैरा–5 (i) | निर्णीत | पुनः संशोधित प्रारुपित |
| 3 | पैरा–5 (ii) | निर्णीत | पुनः संशोधित प्रारुपित |
| 4 | पैरा–6 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–7 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा–8 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा–10 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा–11 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–12 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–13 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा–14 | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा–15 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा–16 | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा–17 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा–18 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा–19 | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा–20 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा–21 | निर्णीत | (पुनः संशोधित प्रारूपित) |
| 20 | पैरा–22 | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा–23 | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा–24 | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा–25 | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा–26 | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा–27 | आंशिक निर्णीत | (केवल श्री यशपाल चपड़ासी से ₹2318 व श्री प्रकाश टोलू गार्ड से ₹2318 की वसूली की गई) |
| 26 | पैरा–28 | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा–29 | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा–30 | अनिर्णीत | |
| 29 | पैरा–31 | अनिर्णीत | |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | पैरा–32 | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–33 | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–34 | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा–35 | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा–36 | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा–37 | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा–38 | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा–39 | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–40 | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–41 | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा–42 | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा–43 | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा–44 | अनिर्णीत |